रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241450
CG-DL-E-27122022-241450

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5828] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2022/पौष 6, 1944
No. 5828] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2022/PAUSHA 6, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6071(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी में उल्लिखित, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, गठन करती है, अर्थात् :--

सारणी

क्र. सं.	गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का नाम और संपर्क ब्यौरे	पदनाम
1.	सचिव (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन), पोर्वोरिम, गोवा सरकार	अध्यक्ष, पदेन
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, गोवा वन भवन, अल्टिनो, पणजी, गोवा	सदस्य, पदेन
3.	निदेशक, पंचायत निदेशालय, माइल्स हाई कोरपोरेट हब, पाटो, पणजी, गोवा	सदस्य, पदेन
4.	निदेशक, पर्यटन विभाग, पहला तल, पर्यटन भवन, पाटो, पणजी, गोवा-403001	सदस्य, पदेन
5.	प्रधान मुख्य इंजीनियर, जल संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय, अल्टिनो, पणजी, गोवा	सदस्य, पदेन

6.	मुख्य इंजीनियर, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पुलिस स्टेशन के नजदीक, पोर्वोरिम, गोवा	सदस्य, पदेन
7.	निदेशक, मत्स्य निदेशालय, दयानन्द बन्दोडकर मार्ग, पाटो कालोनी, पणजी, गोवा	सदस्य, पदेन
8.	श्री गनेश वेलीप, सेवानिवृत्त कार्यकारी इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, निवासी 4707, पदमानारायण इस्टेट, जिवोतम मठ के निकट, गोगल, मारगाव, गोवा	विशेषज्ञ सदस्य
9.	श्रीमती राधा बी. राव, संरचनात्मक सलाहकार और इंजीनियरिंग संस्थान के सदस्य, निवासी एफएस-2, पहला तल, आशुतोष भवन, कुरचोरेम, गोवा	विशेषज्ञ सदस्य
10.	डॉ. दिलीप बी अरोल्कर, आचार्य और प्रधानाचार्य, नयानप्रसारक मंडल कालेज और अनुसंधान केंद्र, 11, असगांव, बरदेज, गोवा, निवासी 11टी4, कामत क्लासिक 4, कारन्जेलेम, तिसवाडी, गोवा	विशेषज्ञ सदस्य
11.	श्री सुशांत एस. नायक, मुख्य वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, दोना, पोला, गोवा	विशेषज्ञ सदस्य
12.	मै. वन्यजीव और पर्यावरण के बारे में अध्ययन और जागरूकता, मकान नं. 9/17/56, श्रीनिवास, एलआईसी कार्यालय के निकट, खडपबंध, पोन्डा, गोवा	सदस्य, गैर- शासकीय संगठन;
13.	निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, गोवा सरकार, चौथा तल, डेम्पो टावर्स, पाटो, पणजी, गोवा	सदस्य सचिव ।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय गोवा स्थित पणजी में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से होगी ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5. सदस्य, हितों के किसी भी विरोध से बचने के लिए, किसी ऐसी परियोजना के, जिसके लिए उन्होंने परामर्श सेवा प्रदान की है, अंकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की किसी बैठक में से स्वयं को अलग कर सकेगा (सकेंगे) ।

6. प्राधिकरण, गोवा राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :--

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार द्वारा, यथास्थिति, संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन की अधिसूचना, 2011 या का.आ. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 द्वारा जारी तटीय विनिमय जोन अधिसूचना, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिश करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनियमन जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण को, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी किया जाएगा;

(v) प्राधिकरण, उसके समक्ष मामले के तथ्यों को सत्यापित करने के लिए, ऐसी कार्रवाई करेगा, जैसी उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपेक्षित है;

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

(vii) प्राधिकरण, तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए गोवा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिश देगा;

(viii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(ix) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा ।

7. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा ।

8. प्राधिकरण, छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा ।

[फा. सं. 12-6/2005-आईए-III(भाग)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 27th December, 2022

S.O. 6071(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Goa Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following members, specified in column (2) of the table below, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

TABLE

Serial number	Member	Status
(1)	(2)	(3)
1.	Secretary (Environment and Climate Change), Porvorim, Government of Goa	Chairman, exofficio;
2.	Principal Chief Conservator of Forest, Forest Department, Goa Van Bhawan, Altinho, Panaji, Goa	Member, exofficio;
3.	Director, Directorate of Panchayat, Myles High Corporate Hub, Patto, Panaji, Goa	Member, exofficio;
4.	Director, Department of Tourism, 1st Floor, Paryatan Bhavan, Patto, Panaji, Goa, 403001	Member, exofficio;
5.	Principal Chief Engineer, Water Resources Department, Head Office, Altinho Panaji, Goa	Member, exofficio;
6.	Chief Engineer, Water Resources Department, Sinchai Bhavan, Near Police Station, Porvorim, Goa	Member, exofficio;

7.	Director, Directorate of Fisheries, Dayanand Bandodkar Marg, Patto Colony, Panaji, Goa	Member, exofficio;
8.	Shri Ganesh Velip, Retired Executive Engineer Public Works Department, Residence of- 4707, Padmanarayan Estate, Near Jivotam Muth, Gogal, Margao, Goa	Member, Expert;
9.	Smt. Radha B.Rao, Structural Consultant and Member of Institution of Engineer's , Residence of- FS-2, 1st Floor, Ashutosh Building, Curchorem, Goa	Member, Expert
10.	Dr. Dilip B. Arolkar, Professor and Principal, Dnyanprassarak Mandal's College and research Centre, 11, Assagaon, Bardez, Goa, Residence of- 11T4, Kamat Classic IV, Caranzalem, Tiswadi, Goa	Member, Expert
11	Shri Sushant S.Naik, Principal Scientist, Council of Scientific and Industrial Research-National Institute of Oceanography, Dona Paula, Goa	Member, Expert
12.	M/s Study and Awareness of Wildlife and Environment, House Number 9/17/56, Shriniwas, Near LIC Office,Khadpabandh, Ponda, Goa	Member, Non-Government Organisation ;
13.	Director, Department of Environment and Climate Change, Government of Goa, 4th Floor, Dempo Towers, Patto, Panaji, Goa	Member Secretary

2. The Authority shall have its headquarters at Panaji, Goa.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an *exofficio* Member, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government in this behalf.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Member shall recuse himself from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.

6. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Goa, take the following measures, namely: -

(i) Examine after receiving the application for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification, 2011 issued by the Government of India *vide* number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 or Coastal Regulation Zone Notification, 2019 issued vide number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), as the case may be, and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) issue directions under section 5 of the said Act;

(v) take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it;

(vi) file complaint under section 19 of the said Act;

(vii) examine the proposals received from the State Government of Goa for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(viii) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder; and

(ix) inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification *suo-moto*, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organization;

7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

8. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. 12-6/2005-IA.III(Part)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.27 21:49:46 +05'30'